

- : : आदेश : : -

या जाकर मौजा डेह एवं किशनपुरा के खेत खसरा नंबर 2059/1179, 1179/2010, 33/1191, 880, 1191, 480 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को सहखातेदार घोषित किया जा जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 3489 दिनांक 01.09.2021 के बंटवारा ताब (पीडी) अनुसार निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है जो कि निर्णय का एक अभिन्न भाग

1. वादी संख्या 1 भगवानसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा किशनपुरा का खेत खसरा नंबर 2059/1179 रकवा 0.6475 हैक्टेयर में से 0.2428 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा, खसरा नंबर 1179/2010 रकवा 1.9425 हैक्टेयर में से 1.0522 हैक्टेयर पश्चिमी भाग, खसरा नंबर 2093/1191 रकवा 1.6187 हैक्टेयर में से 0.8175 हैक्टेयर उत्तरी भाग, खसरा नंबर 880 रकवा 6.4588 हैक्टेयर में से 2.1772 हैक्टेयर उत्तरी भाग कुल रकवा 4.2897 हैक्टेयर रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 महेन्द्र सिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा किशनपुरा का खेत खसरा नंबर 2059/1179 रकवा 0.6475 हैक्टेयर में से 0.4047 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा, खसरा नंबर 1179/2010 रकवा 1.9425 हैक्टेयर में से 0.8903 हैक्टेयर पूर्वी भाग, खसरा नंबर 2093/1191 रकवा 1.6187 हैक्टेयर में से 0.8012 हैक्टेयर दक्षिणी भाग, खसरा नंबर 1191 रकवा 2.1934 हैक्टेयर सम्पूर्ण कुल रकवा 4.2897 हैक्टेयर रखा गया है।
3. वादी संख्या 3 रिछपाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा किशनपुरा का खेत खसरा नंबर 880 रकवा 6.4588 हैक्टेयर में से 4.2816 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरीनकशानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 वजरंगसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेह का खेत खसरा नंबर 480 रकवा 2.9947 हैक्टेयर यथावत रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 2 का विवाह हो चुका है अपने ससुराल में रहती है उन्हे कृषि भूमि की ऐवज में नगद, जेवरात रखे गये हैं। इसलिये उक्त खेतियों में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम कोई बंट नहीं रखा गया है। अतः प्रतिवादी संख्या 2 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही तहसीलदार जायल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।  
निर्णय आज दिनांक 28/9/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर

न्यायालय सुनाया गया।



(रवीन्द्र कुमार मारवाड़ा)  
सहायक सिक्रेटरी एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल